

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer all Questions. All Question carry equal marks.

इकाई / UNIT-I

1. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के उद्देश्य एवं कारणों का उल्लेख करें।

Discuss the object and reason of Chhattisgarh land revenue code 1959.

अथवा / OR

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें:- Write notes on following:-

- a). सहकारी समिति Co-operative Society b). सहकारी पट्टेदार Government Lessee.

इकाई / UNIT-II

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत अपील तथा पुनरीक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना करें।

Discuss provisions related to appeal and revision under Chhattisgarh land revenue code 1959.

अथवा / OR

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत आबादी में अधिकार तथा दखलरहित भूमि से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना करें।

Discuss the provisions related to rights in abadi and unoccupied land under Chhattisgarh land revenue code.

इकाई / UNIT-III

3. निम्न पर टिप्पणी लिखें:- Write notes on following:-

- a). राजस्व सर्वे Revenue Survey b). कृषि वर्ष Agriculture Year

अथवा / OR

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत राजस्व परिषद की शक्तियों का वर्णन करें।

Describe the powers of Board of Revenue under Chhattisgarh land revenue code 1959.

इकाई / UNIT-IV

4. शहरी क्षेत्रों में भू-राजस्व के निर्धारण तथा पुनः निर्धारण के प्रक्रिया की विवेचना करें।

Discuss the procedure of assessment and re-assessment of land revenue in urban areas.

अथवा / OR

छत्तीसगढ़ कृषि जोत अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराधों तथा शक्तियों से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना करें।

Discuss the provisions related to offences and penalties under Chhattisgarh on Agriculture Holding Act, 1960.

इकाई / UNIT-V

5. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भू-अधिधारीओं की विवेचना करें।

Discuss the various types of tenure holder under Chhattisgarh land revenue code 1959

अथवा / OR

स्टेट ऑफ़ एम पी बनाम पूनमचन्द 1968 जे. एल. जे. 116 के वाद के तथ्यों एवं प्रतिपादित विधि सिद्धांतों की विवेचना करें।

Discuss the facts and principle law laid down in the case of state of M.P. V/s Poonam Chand 1968 J.L.J. 116.